फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

नानूलाल बनाम चन्द्रगोपाल

TR

केस संख्या : 46/25

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12.08.25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रस्तुत वादी उप.। अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता उप.। अप्रार्थी-1 उनपक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी-1 ने लिखित बहस एवं दस्तावेज जरिये पेश की। वास्ते आदेश दिनांक 18.08.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	18.8.25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप.। साबिक आदेशानुसार वास्ते आदेश दिनांक 20.8.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	20.8.25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप.। प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों एवं प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उनपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा तहसील राजस्व [illegible] खसरा नं 697 रकबा 0.2800 [illegible] एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु.

प्रार्थना पत्र संख्या– 46 / 2025

नानूलाल पुत्र बींजाराम जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज०।

........प्रार्थी / वादी

बनाम

1. चंदाराम पुत्र सुण्डाराम
2. नन्छुराम पुत्र सुन्दरम
3. बाबूलाल पुत्र सुण्डाराम
4. मोहनलाल पुत्र सुण्डाराम
5. रामलाल पुत्र सुण्डाराम
6. सुजाराम पुत्र सुण्डाराम
7. सांवरमल पुत्र सुंदरम
8. हरफुल चौधरी पुत्र सीताराम
9. अर्जुनलाल चौधरी पुत्र सीताराम
10. मुकेश चौधरी पुत्र सीताराम
11. ममता पुत्री शैतानसिंह
    समस्त जाति जाट, निवासीयान् ग्राम खोराबिसल, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर राज०।
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
13. उप–पंजियक महोदय, उप पंजियक कार्यालय रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.........अप्रार्थी / प्रतिवादीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 20.08.2025

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/वादी के हक हिस्से एवं कब्जेकाश्त की वाके ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 358 पुराना 345 के हाल खसरा नम्बर 697 [illegible] रकबा [illegible]3800 हैक्टेयर स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि हैं। जिसे प्रार्थना पत्र के आगामी मदो में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी /वादी के पूर्वजो की भूमि रही हैं, जिस पर प्रार्थी/वादी पूर्वजो के समय से काबिज काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त भूमि में अपने निर्माणात कर रखे हैं तथा निर्बाध अर्सेदराज से प्रार्थी/वादी वादग्रस्त भूमि का बेरोक टोक उपयोग कर रहा हैं। अप्रार्थी /

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर I, जयपुर

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना–देना, सम्बन्ध एवं सरोकार नही हैं। मुताबिक सजरा खानदान प्रार्थी / वादी के पूर्वज पूरा के तीन संताने छोटू, दूला व बींजा थें। जिनमें से छोटू के कोई जायन्दा पुत्र नही था तथा दूला के भी कोई जायन्दा पुत्र नही था इसके चलते प्रार्थी / वादी जो कि बींजा का पुत्र हैं और अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता सुण्डाराम का सगा भाई हैं। पूर्वजो के समय से ही छोटू के जायन्दा पुत्र नही होने के कारण सामाजिक स्तर पर प्रार्थी /वादी के भाई अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता सुण्डाराम को छोटू के दत्तक पुत्र रखा गया और सुण्डाराम को छोटू के दत्तक पुत्र रहते सामाजिक स्तर एवं परिवार स्तर पर पूर्वजो में ही यह तय हुआ कि सुण्डाराम केवल मात्र छोटू की सम्पत्ति का ही वारिस होगा, बींजा की सम्पत्ति में उसका कोई लेना–देना नही होगा तथा माफिक पारिवारिक बंटवारानामा एवं सामाजिक बंटवारानामा सुण्डा को प्रार्थी /वादी के जायन्दा पिता की सम्पत्ति में से कोई हक हिस्सा नही मिलेगा इसी के चलते बंटवारे अनुसार प्रार्थी /वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति दी गई जिसके आधार पर प्रार्थी/वादी अर्से दराज से वादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज काश्त कर अपना व अपने परिवारजन का पालन पोषण कर रहा हैं। प्रार्थी / वादी जानकारी के अभाव इस चीज से अभिज्ञय रहा कि प्रार्थी/वादी के भाई अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता ने वादग्रस्त सम्पत्ति को विरासत में अपने नाम करवा लिया हैं जब इस तथ्य का प्रार्थी/वादी को वर्ष 2011 में पता चला तो अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता द्वारा अन्य परिवारजनो की उपस्थित में एक शपथ पत्र इस आशय का निष्पादित करके दिया कि वादग्रस्त सम्पत्ति में एवं बींजाराम की सम्पत्ति में अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता का कोई हक हिस्सा नही रहा हैं और उसमें जरिये शपथ पत्र अपने जायन्दा पिता बींजाराम की भूमि में से अपना हिस्सा प्रार्थी/वादी एवं उसके अन्य भाईयों को छोड़ दिया है तथा साथ ही यह भी वर्णित किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति 0.38 हैक्टेयर भूमि को उसके दत्तक पिता छोटूराम ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थी/वादी को दे दी हैं। उक्त शपथ पत्र देने के बाद प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थी /प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता से कई मर्तबा वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम करवाने की प्रार्थना की लेकिन अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता परिवार का सदस्य एवं भाई होने का वास्ता देकर आजकल–आजकल कर टालमटोल करता रहा और जल्द ही वादग्रस्त सम्पत्ति का राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी/वादी के हक में करवाने का आश्वासन देता रहा हैं। हाल ही में जब अप्रार्थी /प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता सुण्डाराम का निधन हो गया तो प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 से वादग्रस्त सम्पत्ति अपने नाम करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रार्थी/वादी को झूठा आश्वासन देते रहे, जिसके चलते प्रार्थी/वादी, अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के विश्वास में चलता रहा। दिनांक 20–04–2025 को प्रार्थी /वादी जब वादग्रस्त भूमि पर खेतीबाडी का कार्य कर रहा था तो वहाँ कुछ अजनबी व्यक्तियों को अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 साथ लेकर आये जिस पर प्रार्थी/वादी ने अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 से पूछा तो

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी /प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने प्रार्थी / वादी को धमकी दी कि जमीन उनकी है और वो उसको अपने नाम करवाकर अन्य भूमाफियों को बेचान कर प्रार्थी/वादी को उसके हक से महरूम करेगें तथा वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल करेगें। इस पर प्रार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का दिनांक 21–04–2025 को ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड देखा तो वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता व सुजा देवी पत्नी गोदा के नाम दिखा, जिस पर अन्देशा होने पर दिनांक 25–04–2025 को प्रार्थी/वादी ने दुबारा वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तो उसे पता चला कि वादग्रस्त सम्पत्ति का दिनांक 7–3–2025 व 23–4–2025 को नामान्तकरण अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम गलत रूप से तस्दीक हो चुका हैं। जिस कारण प्रार्थी / वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ हैं। अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को यह कतई अधिकार प्राप्त नही है कि वह प्रार्थी / वादी की हक हिस्से एवं कब्जेकाश्त की भूमि को अपने निजी स्वार्थ हेतु बेचान करे, साथ ही प्रार्थी/वादी को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित भूमि जिसे विवादग्रस्त भूमि दर्शाया गया है, अपने हक हिस्से की घोषणा करवाकर इन्द्राज राजस्व रिकार्ड करवायें। प्रार्थी/वादी को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह अप्रार्थी / प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित विवादित भूमियों में प्रार्थी/वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नही करें, ना ही उक्त भूमियों का बेचान, हस्तान्तरण करें। अप्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 12 भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड में श्रीमान् के आदेश के बिना परिवर्तन या परिवर्धन नही करे व अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 13 भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत किसी दस्तावेज को प्राप्त नही करें, ना ही पंजीकृत करें। उक्त समस्त कृत्य अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 न तो स्वंय करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये। अगर अप्रार्थी / प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 8 में वर्णितानुसार जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थी / प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 4 में वर्णित भूमियों में निहित हिस्से में प्रार्थी/वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करेगें, प्रार्थी/वादी को काश्त करने से बेदखल कर देगें, तथा अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 12 भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन या परिवर्धन कर देगा व अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 13 भूमि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में होने वाले दस्तावेज को तस्दीक कर देगा। जिससे प्रार्थी/वादी के हक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा तथा प्रार्थी /वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिससे प्रार्थी/वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया जाना असंभव होगा। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 4 व 5 में वर्णितानुसार प्रथम दुष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी /वादी के हक में बखूबी साबित हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: SelfAttested

11 प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित विवादित भूमियों में प्रार्थी/वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नही करें, ना ही उक्त भूमियों का बेचान, हस्तान्तरण करें। अप्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 12 भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड में श्रीमान् के आदेश के बिना परिवर्तन या परिवर्धन नही करे व अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 13 भूमि विवादग्ररत्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत किसी दस्तावेज को प्राप्त नही करें, ना ही पंजीकृत करें। उक्त समस्त कृत्य अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 न तो स्वंय करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी ने गलत तथ्य बनाकर बनावटी आधारो पर उक्त दावा प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की आशा करना कोरी कल्पना मात्र है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में यह कहना गलत है कि प्रार्थी वादी ग्रामीण परिवेश का कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति हो बल्कि प्रार्थी ने गलत तथ्य बनाकर अप्रार्थीगण की भूमि को हडपने के मकसद से झूठा दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में जो सजरा खानदान प्रस्तुत किया है वह गलत प्रस्तुत किया है तथा जानबूझकर बनावटी तरीके से गलत प्रस्तुत किया है। तथा यह कहना गलत है कि प्रार्थी के हक, हिस्से व कब्जे–काश्त की भूमि ग्राम गोंविदपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी में खसरा नम्बर 697 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि स्थित हो बल्कि सही तथ्य यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ता 11 के नाम दर्ज है और प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त भूमि से वादी का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नही है और ना ही कब्जा ही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में यह कहना गलत है कि उक्त भूमि वादी के पूर्वजो की रही हो और जिस पर वादी पूर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त कर रखा हो और यह भी गलत है कि वादी ने उक्त भूमि पर कोई निर्माण कर रखा हो और वादी बिना रोक–टोक के उपयोग कर रहा हो। सम्पूर्ण तथ्य मनगढन्त एवं बनावटी है और वादी ने केवल प्रतिवादीगण की सम्पत्ति को हडपने के मकसद से उक्त दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 06 गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में यह कहना गलत है कि रवीदी बीजा का पुत्र हो बल्कि सही तथ्य यह है कि छोटू के तीन जाईन्दा लडकियां हरली, सूरजा एवं प्रभाती है किन्तु छोटू के कोई जाईन्दा पुत्र नही था इस कारण छोटू ने अपने जीवनकाल में सूण्डा को गोद ले लिया था और सूण्डा के असल माता–पिता ने सूण्डा को गोद दे दिया था। इस प्रकार छोटू के चार उत्तराधिकारी सूण्डा, हरली, सूरजा एवं प्रभाती हो गये और जो कि छोटू की सम्पत्ति के वारिस चले आ रहे है। यह कहना गलत है कि छोटू के जाईन्दा पुत्र नही होने के कारण 'सूण्डाराम को दत्तक रखा गया हो और यह भी गलत है कि सामाजिक स्तर पर यह तय हुआ हो कि सूण्डाराम छोटू की सम्पत्ति का वारिस होगा एवं बीजा की सम्पत्ति में कोई लेना देना नही होगा। यह भी गलत अंकित किया है कि पारिवारिक बटवारानामा व सामाजिक बटवारानामा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

सूण्डा को वादी के पिता की जायदाद में कोई हक हिस्सा नही मिलेगा और इसी के चलते बटवारे के अनुसार वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति दी गयी हो। यह भी गलत है कि वादी उक्त सम्पत्ति पर बटवारानामा के अनुसार अरसे दराज से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा हो। यह भी गलत है कि वादी को इस तथ्य की जानकारी नही हो कि प्रतिवादीगण के पिता ने विरासत में अपने नाम करवा लिया हो। सम्पूर्ण तथ्य मनगढन्त एवं बनावटी है बल्कि वादी एवं सम्पूर्ण परिवार को उक्त तथ्य के बाबत शुरू से ही जानकारी रही है और बनावटी तथ्य बनाकर अब सम्पत्ति को हडपने के मकसद से उक्त दावा प्रस्तुत किया है। यह भी गलत है कि वादी को सन् 2011 में इस तथ्य का पता चला हो तो प्रतिवादीगण के पिता द्वारा कोई शपथ पत्र परिवारजनो की उपस्थिति में निष्पादित किया हो। सही तथ्य यह है कि ना तो सूण्डाराम द्वारा ऐसा कोई शपथ पत्र निष्पादित ही किया गया है और ना ही शपथ पत्र के माध्यम से सूण्डाराम अथवा उसके उपरान्त उसके वारिस अपने हक अधिकार स्वामित्व व कब्जे की सम्पत्ति से वंचित ही होते है और ना ही ऐसे शपथ पत्र के माध्यम से वादी को कोई हक हिस्सा ही प्राप्त होता है, इससे भी जाहिर है कि तथाकथित शपथ पत्र कूटरचित एवं बनावटी है एवं अवैध व शून्य है और जिसकी नकल प्राप्त होने पर मिन प्रतिवादी फर्जी दस्तावेज बनाने के बाबत अलग से कानूनी कार्यवाही करेगा। यह भी गलत है कि वादी सूण्डाराम द्वारा अपने पिता की सम्पत्ति में हक हिस्सा छोड दिया हो। सही तथ्य यह है कि सूण्डा को उसके पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गया था और अपने हिस्से की सम्पत्ति पर अपने पिता बीजा के जीवनकाल से काबिज होकर काश्त करता रहा था। उसके उपरान्त जब छोटू द्वारा सूण्डा को गोद लिया गया तो सूण्डा उक्त अपने हिस्से की सम्पत्ति लेकर छोटू के गोद आ गया और उसके उपरान्त छोटू की मृत्यू के उपरान्त छोटू के हिस्से की सम्पत्ति में बहनो के साथ बराबर का उत्तराधिकारी हो गया और उसके उपरान्त बहनो ने सूण्डा के हक में जरिये रजिस्टर्ड विलेख हक त्याग कर दिया, इस प्रकार सूण्डा छोटू द्वारा छोडी गयी सम्पत्ति पर उत्तराधिकार एवं हक त्याग के माध्यम से मालिक हो गया और चूंकि सूण्डा अपने हिस्से की सम्पत्ति लेकर छोटू के गोद आया था. ऐसी स्थिति में उक्त हिस्से में भी सूण्डा एकमात्र मालिक और काबिज रहा और अपने जीवनकाल में उपयोग उपभोग एवं काश्त करता रहा और वर्तमान में प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है तथा ना तो वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] करवाने का निवेदन किया और जब वादी द्वारा कभी इस बाबत निवेदन ही नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण द्वारा टालमटोल करे जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है बकौल [illegible] ऐसा कोई शपथ पत्र होता तो वादी सूण्डा के जीवनकाल में ही अपने नाम [illegible] परिवर्तन करवा सकता था और जरिये रजिस्टर्ड विलेख उक्त सम्पत्ति अपने नाम करवा सकता था, इससे भी जाहिर है कि वादी ने सूण्डा के मरने के बाद फर्जी दस्तावेज बनाकर उक्त दावा प्रस्तुत किया है ताकि प्रतिवादीगण पर फर्जी दस्तावेजो के माध्यम से दबाव डालकर एवं न्यायालय को गुमराह करके सम्पत्ति को हडप सके जबकि प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सूण्डा के जीवनकाल से ही सम्पूर्ण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर
Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी भूमि पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है और जिस पर वादी एवं अन्य किसी का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नही है तथा उक्त भूमि की गिरदावरी में भी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है, इससे भी जाहिर किया उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। यह कहना गलत है दिनांक 20.04.2025 को वादी वादग्रस्त भूमि पर खेती कर रहा हो, जब वादी का कोई कब्जा ही नही है और ना ही कोई हक हिस्सा है तो वादी का वादग्रस्त भूमि पर खेती बाडी करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है बल्कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर एकमात्र रूप से काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे है तथा वादी उक्त दावे के आड में मिन प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की सम्पूर्ण भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा करने र आमादा है और उनके कब्जे अधिकार की भूमि से वंचित करने पर आमदा है जिसका कि प्रतिवादी को कोई अधिकार नही है। यह कहना गलत है कि वादी द्वारा दिनांक 21.04.2025 को ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड देखा हो और दिनांक 25.04.2025 को राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने पर वादग्रस्त सम्पत्ति का नामान्तकरण दिनांक 07.03.2025 और दिनांक 23. 04.2025 को तस्दीक होने की जानकारी हुई हो सम्पूर्ण तथ्य बनावटी है वादी को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि सूण्डा जीवनकाल से ही उक्त भूमि का मालिक व काबिज रहा है और उसके मरने के बाद सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी के नाम दर्ज हुआ है। वादी ने कभी भी सूण्डा के मालिकाना हक, अधिकार एवं स्वामित्व एवं कब्जे को कोई चुनौती नहीं दी एवं उनके मरने के बाद वादी को उक्त चुनौती देने एवं आपत्ति करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है ऐसी स्थिति में वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 07 गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में यह कहना गलत है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 को अपने मालिकाना हक, अधिकार एवं स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर अधिकार प्राप्त नही हो एवं यह कहना गलत है कि प्रार्थी/वादी को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के अपने मालिकाना हक, अधिकार एवं स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर हक हिस्से की घोषणा करवाकर इन्द्राज राजस्व रिकार्ड करवायें का अधिकार प्राप्त प्राप्त नही हो। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 08, 09 गलत होने से अस्वीकार है। वह अप्रार्थी / प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी.. का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा [illegible] प्रार्थी [illegible] एवं बिना कब्जे व अधिकार के पाबन्द करने का अधिकारी नही है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी ने एक दावा बाबत घोशणा इन्द्राज दुरूस्ति व अस्थायी निशेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में कृषि

भूमि हाल खाता संख्या 358 खसरा नम्बर 697 रकबा 0.38 हैक्टेयर स्थित है जिस पर प्रार्थी पूर्वजो के जमाने से काबिज काश्त है और उपयोग कर रखा है तथा यह भी अभिकथन किया कि प्रार्थी के पूर्वज पूरा के तीन संतान छोटू, दुल्हा व बीजा थे एवं छोटू व दुल्हा के कोई जाईदा पुत्र नही था, इसके चलते प्रार्थी बीजा का पुत्र है और अप्रार्थी 1/7 के पिता सूण्डा का सगा भाई है। अभिकथन किया कि पूर्वजो के समय से छोटू के जाईदा पुत्र नही होने के कारण प्रार्थी के भाई व अप्रार्थी के पिता सूण्डाराम को छोटू के दत्तक पुत्र रखा गया और सामाजिक स्तर पर यह भी तय हुआ कि सूण्डाराम केवल छोटू की सम्पत्ति का वारिस होगा और बीजा की सम्पत्ति में कोई लेना–देना नही होगा। यह भी अभिकथन किया कि पारिवारिक बटवारानामा व सामाजिक बटवारानामा के अनुसार प्रार्थी को वादग्रस्त सम्पत्ति दी गयी, जिस पर वह काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी हुई कि अप्रार्थीगण के पिता सूण्डा ने सम्पत्ति के विरासत का नामान्तकरण अपने नाम करवा लिये है तो अप्रार्थीगण के पिता सूण्डा द्वारा परिवारजनो की उपस्थिति में एक शपथ पत्र निष्पादित करके दिया कि वादग्रस्त सम्पत्ति में एवं बीजाराम की सम्पत्ति में अप्रार्थीगण के पिता का कोई हक व हिस्सा नही रहेगा और उक्त सम्पत्ति में अपना हक हिस्सा वादी व अन्य भाईयो के हक में छोड दिया है और इसके पश्चात प्रार्थी सूण्डाराम को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाने के लिये बार–बार निवेदन करता रहा किन्तु सूण्डाराम टालमटोल करता रहा और इसके उपरान्त सूण्डाराम का देहान्त हो गया और उसके उपरान्त अप्रार्थीगण आश्वासन देते रहे और राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नही करवाया और इस प्रकार प्रार्थी ने उक्त शपथ पत्र के आधार पर उक्त दावा एवं अस्थायी निशेधाज्ञा प्रस्तुत किया और न्यायालय के समक्ष स्थगन चाहा। न्यायालय द्वारा एक पक्षीय सुना जाकर बिना दस्तावेज की वैधता एवं विश्वसनीयता पर विचार किये बिना कानून के विपंरित जाकर बिना अप्रार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये एक पंक्षीय रूप से अन्तरिकन अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया। मिन अप्रार्थी की तामील होने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि उक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है और अप्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिससे प्रार्थी का कोई हक हिस्सा, सरोकार एवं कब्जा नही है और यह भी अभिकथन किया कि छोटू के कोई जाईन्दा पुत्र नही था लेकिन उसके चार जाईन्दा पुत्रीया बिरदी, हरली, मन्नी व सूरजा है और यह भी अभिकथन किया कि छोटू ने अपने जीवनकाल में सूण्डा को गोद लिया था जिसे वादी (प्रार्थी) ने स्वीकार किया है। इस प्रकार छोटू के सूण्डा सहित चार पुत्रियां उत्तराधिकारी रह गये और जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण खुल गया और छोटू की चारो लड़कियो ने अपना हक त्याग सूण्डा के पक्ष में कर दिया और सूण्डा की मृत्यु के बाद नामान्तकरण खुल गया और इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज हो गया और जिसकी गिरदावरी भी अप्रार्थीगण के नाम चली आ रही है। इस प्रकार उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और जिसमें प्रार्थी वादी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा

सहायक कलक्टर
आमेर द्वि. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

यह भी अभिकथन किया कि सूण्डा द्वारा कोई शपथ पत्र वादी प्रार्थी के नाम निष्पादित नही किया, तथाकथित शपथ पत्र फर्जी, कूटरचित एवं बनावटी है तथा तथाकथित शपथ पत्र ना तो पंजीकृत है और ना ही प्रोपर स्टाम्प पर है तथा तथाकथित शपथ पत्र सेना तो सम्पत्ति हस्तान्तरित होती है और ना ही किसी को मालिकाना हक प्र:प्त होता है और ना ही शपथ पत्र से सम्पत्ति का विधिवत हस्तान्तरण किया जाना ही सम्भव है। इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त अस्थायी निशेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अनुतो चाहा। माननीय न्यायालय को यह देखना है कि क्या उक्त प्रकरण में प्रार्थी का प्रथम दृश्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति कारित होती है किन्तु न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करते समय उपरोक्त किसी भी बिन्दू का विवेचन नहीं किया और विधि विरूद्ध जाकर एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है जो कि ना केवल निरस्त किये जाने योग्य है बल्कि उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है। उक्त प्रार्थना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 697 वाके ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जयपुर वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा संवत् 2080 वर्ष 2023 की खसरा गिरदावरी खरीफ, सीयालू की भूमि में अप्रार्थीगण को काश्त करते हुये दर्शित है। इस प्रकार उक्त भूमि के एकमात्र मालिक स्वामी एवं काबिज अप्रार्थीगण है और प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नही है और जिस पर अप्रार्थीगण ही एकमात्र रूप से काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थी का कोई प्रथम दृश्टया मामला नही है। जहा तक शपथ पत्र का प्रश्न है उक्त शपथ पत्र दिनांक 15. 12.2011 कूटरचित एवं बनावटी है और सूण्डा द्वारा कोई शपथ पत्र वादी प्रार्थी के नाम निष्पादित नही किया, तथाकथित शपथ पत्र फर्जी, कूटरचित एवं बनावटी है तथा तथाकथित शपथ पत्र ना तो पंजीकृत है और ना ही प्रोपर स्टाम्प पर है तथा तथाकथित शपथ पत्र से ना तो सम्पत्ति हस्तान्तरित होती है और ना ही किसी को मालिकाना हक प्राप्त होता है और ना ही शपथ पत्र से सम्पत्ति का विधिवत हस्तान्तरण किया जाना ही सम्भव है। इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त अस्थायी निशेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अनुतोश चाहा। इस प्रकार उक्त तथाकथित दस्तावेज के आधार पर उक्त दावा चलने योग्य नही है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने कानूनी नजिर एआईआर 1997 राजस्थान 211 में यह प्रतिपादित किया है कि किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज जो किसी अचल सम्पत्ति में किसी अधिकार को सृजित करता या समाप्त करता है तो ऐसा दस्तावेज पंजीकृत व प्रोपर स्टाम्प पर होना आवश्यक है। इस प्रकार सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत उक्त दस्तावेज से कोई मालिकाना हक प्राप्त नही होता है और ना ही सम्पत्ति का मालिकाना हक से अप्रार्थीगण वंचित होते है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज ना केवल फर्जी है बल्कि विधि चिद्ध के अन्तर्गत नही आता है और ना ही उक्त दस्तावेज से सम्पत्ति ही अन्तरित होती है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज के आधार पर भी प्रार्थी को कोई मालिकाना हक प्राप्त नही हुआ है और प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृश्टया मामला नही बनता है। यह अंकित करना भी आवश्यक है कि उक्त दस्तावेज में ना तो खसरा नम्बर अंकित है और ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

छोटूराम के कोई हस्ताक्षर है तथा उक्त दस्तावेज पर ना ही किसी की गवाही अंकित है। उक्त स्टाम्प भी सूण्डाराम द्वारा क्रय नही किया गया है तथा उक्त दस्तावेज पर सूण्डाराम की अंगूठा निशानी भी नही है, इससे भी उक्त दस्तावेज से प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होता है। यह अंकित करना भी आवश्यक है कि सूण्डाराम की बहने अर्थात छोटू की पुत्रीयो के नाम नामान्तकरण दिनांक 21.07.2001 को ही खुल चुका था और सूण्डाराम के नाम नामान्तकरण वर्श 2014 में ही खुल गया था। जब छोटू की पुत्रीयो के नाम नामान्तकरण वर्ष 2001 में ही खुल चुका था तो सूण्डा द्वारा उक्त दस्तावेज / शपथ पत्र निश्मादित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है और इससे स्पष्ट है कि उक्त शपथ पत्र कूटरचित एवं बनावटी है और सूण्डाराम के मरने के बाद अप्रार्थीगण की भूमि को हडपने के मकसद से न केवल कूटरचित शपथ पत्र तैयार किया गया है बल्कि गलत तथ्य बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया है जो कि प्रार्थी का कोई प्रथम दृश्टया मामला नही है और प्रार्थी न्यायालय से कोई निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी नहीं है क्योकि राजस्व रिकॉर्ड एवं गिरदावरी से भी मिन अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना पूर्णतया साबित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का कोई कब्जा, हक, हिस्सा एवं सरोकार नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कोई अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न उत्पन्न होता होता है। छोटू के विरासत के अनुसार अप्रार्थीगण बतौर उत्तराधिकारी छोटू के जीवनकाल से ही काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृश्टया मामला अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निशेधाज्ञा खारिज किया जावे ।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने जाहिर किया है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित भूमि प्रार्थी / वादी के पूर्वजो की भूमि रही हैं, जिस पर प्रार्थी/वादी पूर्वजो के समय से काबिज काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त भूमि में अपने निर्माणात कर रखे है तथा निर्विध अर्से दराज से प्रार्थी/वादी वादग्रस्त भूमि का बेरोक टोक उपयोग कर रहा हैं। अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना–देना, सम्बन्ध एवं सरोकार नही हैं। मुताबिक सजरा खानदान प्रार्थी / वादी के पूर्वज पूरा के तीन संताने छोटू, दूला व बींजा थें। जिनमें से छोटू के कोई जायन्दा पुत्र नही था तथा दूला के भी कोई जायन्दा पुत्र नही था इसके चलते प्रार्थी / वादी जो कि बींजा का पुत्र हैं और अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता सुण्डाराम का सगा भाई हैं। पूर्वजो के समय से ही छोटू के जायन्दा पुत्र नही होने के कारण सामाजिक स्तर पर प्रार्थी /वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

गया और सुण्डाराम को छोटू के दत्तक पुत्र रहते सामाजिक स्तर एवं परिवार स्तर पर पूर्वजो में ही यह तय हुआ कि सुण्डाराम केवल मात्र छोटू की सम्पत्ति का ही वारिस होगा, बींजा की सम्पत्ति में उसका कोई लेना–देना नही होगा तथा माफिक पारिवारिक बंटवारानामा एवं सामाजिक बंटवारानामा सुण्डा को प्रार्थी /वादी के जायन्दा पिता की सम्पत्ति में से कोई हक हिस्सा नही मिलेगा इसी के चलते बंटवारे अनुसार प्रार्थी /वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति दी गई जिसके आधार पर प्रार्थी/वादी अर्से दराज से वादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज काश्त कर अपना व अपने परिवारजन का पालन पोषण कर रहा हैं। प्रार्थी / वादी जानकारी के अभाव इस चीज से अभिज्ञय रहा कि प्रार्थी/वादी के भाई अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता ने वादग्रस्त सम्पत्ति को विरासत में अपने नाम करवा लिया हैं चूकि विवेचन यदि विवादित आराजी का बेचान अथवा खुद–बुर्द किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की प्रबल संभावना है तथा वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए भी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखना आवश्यक है। अतः वाके ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में कृषि भूमि हाल खाता संख्या 358 पुराना 345 के हाल खसरा नम्बर 697 रकबा 0.3800 हैक्टेयर में उभयपक्ष मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाऐ रखे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

5

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:18:31 IST
Reason: SelfAttested